रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2008/आषाढ़ 30, 1930
No. 13] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2008/ASADHA 30, 1930

रक्षा मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2008

का.नि.आ. 18(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 40 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश, 2008 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) में, अंत में आने वाले "और" शब्द के स्थान पर "या" शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं. 7(3)/2008-डी (एएफटी सेल)]

अजय तिर्की, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

ORDER

New Delhi, the 21st July, 2008

S.R.O. 18(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 40 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Armed Forces Tribunal Act (Removal of Difficulties) Order, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), in Section 6, in sub-section (3), in clause (a), for the word "and" occurring at the end, the word "or" shall be substituted.

[F. No. 7(3)/2008-D (AFT Cell)]

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.

2761 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.